न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 117/2025 (GCMS: 2025/126)

राज्य सरकार जरिये श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री चंचल वर्मा पुत्र श्री विनोद वर्मा उम्र 32 साल जाति कुम्हार, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, श्रीगंगानगर, मोबाईल नम्बर – 70621–11394
फर्म/दुकान सेतिया कॉलोनी, मेन रोड, बसंती चौक के पास, श्रीगंगानगर

10.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हुए। विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से सुश्री कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 26.03.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ सेतिया कॉलोनी, मेन रोड़, बसंती चौक के पास, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर उक्त दुकान में श्री चंचल वर्मा उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। मौके पर 31 लीटर पेट्रोल मय 03 प्लास्टिक कैनी, 02 प्लास्टिक कीप, 01 लोहे का माप दुकान में पाया गया, जिसे श्री चंचल वर्मा ने स्वयं का होना स्वीकार किया तथा बताया कि वह **पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल–पेट्रोल का बेचान अपनी उक्त दुकान में करता हैं।** मौके पर चंचल वर्मा द्वारा पेट्रोल/डीजल के बेचान के संबंध में कोई कागजात/अनुमति/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। चचंल वर्मा पुत्र श्री विनोद वर्मा ने **बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार विवरण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4) एवं 4 का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण**, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर, मौके पर जब्तशुदा 31 लीटर पेट्रोल मय 03 प्लास्टिक कैनी, 02 प्लास्टिक कीप, 01 लोहे का माप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:27 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 117/2025
सरकार बनाम चंचल वर्मा
(GCMS No. 2025/126)

अप्रार्थी चंचल वर्मा को नोटिस जारी किया गया था, जो अप्रार्थी को विधिवत् तामील प्राप्त होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं।

विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 26.03.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ अप्रार्थी चंचल वर्मा की दुकान पर पहुचें तो उसके द्वारा बिना कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल/डीजल का बेचान किया जा रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करन मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का उल्लंघन करने के कारण जब्तशुदा 31 लीटर पेट्रोल मय 03 प्लास्टिक कैनी, 02 प्लास्टिक कीप, 01 लोहे का माप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली एवं विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ ने दिनांक 26.03.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु सेतिया कॉलानी, मेन रोड़, बसंती चौक के पास, श्रीगंगानगर पर पहुंचे तो मौके पर श्री चंचल वर्मा पुत्र श्री विनोद वर्मा दुकान पर उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जाचं की गई। मौके पर 31 लीटर पेट्रोल मय 03 प्लास्टिक कैनी, 02 प्लास्टिक कीप, 01 लोहे का माप दुकान में पाया गया, जिसे अप्रार्थी चंचल वर्मा ने स्वयं का होना स्वीकार किया। अप्रार्थी ने बातया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्प से डीजल–पेट्रोल का बेचान सेतिया फार्म, मैन रोड, बसंती चौक, श्रीगंगानगर में स्थित दुकान में करता है। मौके पर चंचल वर्मा पेट्रोल/डीजल के बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही किया गया। इसलिए 31 लीटर पेट्रोल मय 03 प्लास्टिक कैनी, 02 प्लास्टिक कीप, 01 लोहे का माप को जब्त किया गया। चंचल वर्मा ने बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान कर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया, इसलिए जब्तशुदा 31 लीटर पेट्रोल मय 03 प्लास्टिक कैनी, 02 प्लास्टिक कीप, 01 लोहे का माप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:27 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 117/2025
सरकार बनाम चंचल वर्मा
(GCMS No. 2025/126)

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी को जारी नोटिस उसे विधिवत् तामील होने के पश्चात भी वह उपस्थित नहीं हुआ है और जिला रसद अधिकारी द्वारा फर्द मौक मय जब्ती में अंकित किया है कि मौके पर दुकान मालिक चंचल वर्मा/विनोद वर्मा ने हस्ताक्षर करने से मना किया एवं मौके से फरार हो गया।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख तथा 5000 लीटर वर्ग ग के <u>भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता</u> है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी से 31 लीटर पेट्रोल का भण्डारण एवं बेचान करते हुए जब्त किया गया है। बिना अनुज्ञप्ति (License) एवं बिना किसी सुरक्षा पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन एवं बेचान के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

इस प्रकार अप्रार्थी चंचल वर्मा के कब्जे से अवैध रूप से 31 लीटर **पेट्रोल एवं अन्य सामग्री** बेचान करते हुए प्राप्त हुआ तथा **अप्रार्थी चंचल वर्मा के पास पेट्रोल के भण्डारण/बेचान** करने का कोई अनुज्ञा पत्र भी नही **है।** इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उललंघन किया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:27 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स **में उपयोग व**

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए— प्रकरण संख्या 117/2025
सरकार बनाम चंचल वर्मा
(GCMS No. 2025/126)

निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग ''क'' के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग ''ख'' के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति (License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थी द्वारा 31 लीटर पेट्रोल ''भण्डारण एवं बेचान'' करते जब्त किया गया हैं, इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त 31 लीटर पेट्रोल पदार्थ मय अन्य सामग्री राजसात करने योग्य ठहरते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 31 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 31 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य सामान को विक्रय कर, राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:27 IST
Reason: SelfAttested